फर्द अहकाम

संजय कालवी बनाम डी. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 50/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वाद अंकित सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/04/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वाद अंकित के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व आश्रय दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखित भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 80 रकबा 1.26 है. वाके ग्राम जैलपुरखोजी तहसील आमेर जिला जयपुर की की अभिलेखित एकल खातेदारी की विधिवत नीलामशुदा भूमि है। जिसकी विधिवत नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामशुदा किया गया है तथा उक्त क्रम में सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार पत्थरगढी [illegible] आदेश भी [illegible] जिसकी प्रक्रिया के अन्तर्गत [illegible] खातेदारी की दक्षिणी [illegible] के अधिकृत [illegible] विभाग द्वारा तथ्यों को [illegible] तथा पत्थरगढी आदेश के विरुद्ध [illegible] अपील भी सक्षम न्यायालय द्वारा तथ्यों के अभाव में खारिज की गई है। इस प्रकार भूमि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की	

फर्द अहकाम

संजय कालवी बनाम डी. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 50/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/24	अभिलेखित भूमि की भूमि में अधिक अतिक्रमण / लार फेंसिंग के रूप में किए है। जिसे अपने अधिकारी है से हटवाए जाने का वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादी प्रतिवादीगण सं. 01 ता. 06 को वादी की अभिलेखित एकल खातेदारी की नीलामशुदा भूमि आ. ख. नं. 80 रकबा 1.26 है. की दक्षिणी दिशा की सीमा के अन्तर्गत किए गए अधिक कब्जे के अतिक्रमित भाग से बेदखल किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को उसकी भूमि के अतिक्रमित भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपुर्द करावे तथा साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की अभिलेखित एकल खातेदारी की भूमि आ. ख. नं. 80 रकबा 1.26 है. की सीमा में किसी प्रकार का अधिक हस्तक्षेप ना करें। तदनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर नम्बर से कम हो। वाद अंकित दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested